

रिपोर्ट करने योग्य

भारत का उच्चतम न्यायालय

दीवानी अपीलिय क्षेत्राधिकार

(सिविल अपील सं. 3155/2023)

(एसएलपी (सी) संख्या 33282/2016 से उत्पन्न)

उदय प्रताप ठाकुर और एक अन्य

अपीलकर्ता

बनाम्

बिहार राज्य और अन्य

उत्तरदाता

साथ में

(सिविल अपील सं. 3156/2023)

(एसएलपी (सी) संख्या 26340/2018 से उत्पन्न)

बिनोद कुमार और अन्य

अपीलकर्ता

बनाम्

बिहार राज्य और अन्य

उत्तरदाता

साथ में

(सिविल अपील सं. 3157/2023)

(एसएलपी (सी) संख्या 7215/2019 से उत्पन्न)

गंगा प्रसाद सिंह और अन्य

अपीलकर्ता

बनाम्

बिहार राज्य और अन्य

उत्तरदाता

और

(सिविल अपील सं. 3158-3159/2023)

(एसएलपी (सी) संख्या 8734-8735/2023 से उत्पन्न)

(डायरी संख्या 28954/2020)

महेश्वर पाण्डेय

अपीलकर्ता

बनाम्

बिहार राज्य और अन्य

उत्तरदाता

निर्णय

एम. आर. शाह, न्यायमूर्ति

1. पटना उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित पत्र पेटेंट अपीलों में पारित आक्षेपित निर्णयों और आदेशों से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, संबंधित मूल रिट याचिकाकर्ता-कार्य प्रभारित कर्मचारी, जिनकी सेवाओं को बाद में कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान संशोधित सेवा शर्तें (निरसन) नियम, 2013 (इसके बाद "नियम, 2013" के रूप में संदर्भित) के अनुसार नियमित किया गया था, ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

2. सुविधा के लिए, सिविल अपील सं 3158-3159/2023 (महेश्वर पांडे बनाम बिहार राज्य और अन्य) को प्रमुख मामला के रूप में माना जा रहा है।

2.1 वर्तमान अपीलों में शामिल मुद्दा पेंशन लाभों के लिए और पेंशन योग्य सेवा की अवधि की गणना के उद्देश्य से कार्य प्रभारित सेवाओं की अवधि की गणना के संबंध में है।

2.2 क उच्च न्यायालय की एक बड़ी पीठ ने नियम, 2013 के नियम 5 (v) को बरकरार

रखते हुए आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान में खर्च की गई अवधि को केवल पेंशन प्रदान करने के लिए सेवा की योग्यता अवधि में कमी की सीमा तक गिना जाएगा, जिसकी भरपाई कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान के तहत खर्च की गई अवधि को जोड़कर की जाएगी और यह कि कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान के तहत खर्च की गई पूरी अवधि पर विचार नहीं किया जाएगा।

2.3 संबंधित मूल रिट याचिकाकर्ताओं को शुरू में नियुक्त किया गया था और कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान के तहत कार्य प्रभारित के रूप में काम कर रहे थे। राज्य सरकार समय-समय पर कार्य प्रभारित कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए नियम बनाती है और यह भी बताती है कि कार्य प्रभारित सेवाओं को कैसे गिना/माना जाए। अंत में, राज्य सरकार ने नियम, 2013 बनाए, जिसके तहत मूल रिट याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित किया गया।

2.4 खंडों में से एक, अर्थात् खंड 5 (v) में प्रावधान किया गया है कि पुरानी पेंशन योजना इन कर्मियों पर लागू होगी। इसमें आगे प्रावधान किया गया है कि पेंशन और ग्रेच्युटी लाभ देने की गणना हर पांच साल की कार्य प्रभारित सेवा के लिए एक साल की नियमित सेवा की मान्यता के साथ की जाएगी और इसके बावजूद, यदि पुरानी पेंशन के तहत पेंशन स्वीकृति के लिए न्यूनतम पेंशन भुगतान सेवा पूरी नहीं की जाती है, तो उस सीमा तक न्यूनतम सेवा जोड़कर पेंशन का लाभ दिया जाएगा।

2.5 यद्यपि मूल रिट याचिकाकर्ताओं को पेंशन प्रदान करने के लिए सेवा की अर्हता अवधि के उद्देश्य से प्रभारित कार्य के रूप में प्रदान की गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए पेंशन का हकदार माना गया था, लेकिन उन्होंने नियम, 2013 के नियम 5 (v) को इस हद तक चुनौती दी कि पेंशन की गणना के उद्देश्य से, हर पांच साल की कार्य प्रभारित सेवा के लिए एक वर्ष की नियमित सेवा को ध्यान में रखा जाएगा। मूल रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान में प्रभारित कार्य के रूप में प्रदान की गई पूरी सेवा को पेंशन के उद्देश्य से गिना और/या विचार किया जाना आवश्यक है।

2.6 पेंशन संबंधी लाभों की गणना के उद्देश्य से कार्य प्रभारित सेवाओं की अवधि की गणना और पेंशन योग्य सेवा की अवधि के संबंध में दो खंड पीठ के फैसलों में मतभेद

थे, इसलिए, मामले को बड़ी पीठ को भेजा गया था। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा बड़ी पीठ ने निम्नलिखित शब्दों में संदर्भ का उत्तर दिया है:

"(क) ऐसे नियमित कर्मचारियों की सेवा को पेंशन योग्य बनाने के उद्देश्य से नियमित प्रतिष्ठान के तहत सेवा में कार्य प्रभारित अवधि में प्रदान की गई सेवा के वर्षों की संख्या को जोड़ने के संबंध में, शीला देवी (उपरोक्त) और विनोद कुमार (उपरोक्त) के मामले में दो खंड पीठों की घोषणाओं में व्यावहारिक रूप से कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। (ख) पेंशन के प्रयोजनों के लिए, किसी कर्मचारी की कार्य-प्रभारित कार्यकाल से केवल ऐसी अवधि जोड़ी जाएगी जिसको उसे पेंशन के लिए योग्य बनाने के लिए नियमित किया गया है। (ग) कार्य-प्रभारित कार्यकाल की ऐसी अवधि को जोड़ते समय, कार्य-प्रभारित प्रतिष्ठान के तहत प्रदान की जाने वाली हर पांच साल की सेवा के बदले एक वर्ष देने/गिनने का तरीका होगा। यदि इससे भी कुछ कमी आती है, तो कर्मचारी की सेवा को पेंशन योग्य बनाने के लिए और वर्षों का कार्य-प्रभारित कार्यकाल लिया जा सकता है/जोड़ा जा सकता है। (घ) चयन श्रेणी और समयबद्ध पदोन्नति पर पदोन्नति के लिए एक कर्मचारी को लाभ देने के उद्देश्यों के लिए, कार्य-प्रभारित कर्मचारी के रूप में प्रदान की गई सेवा की पूरी अवधि को गिना जा सकता है। (ङ) 2013 के नियम और परिपत्र वैध हैं जैसा कि विनोद कुमार (उपरोक्त) में माना गया है। (च) 2013 के नियम और परिपत्र ऐसे कार्य-प्रभारित कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिन्हें 22.10.1984 के बाद और 11.12.1990 से पहले नियुक्त किया गया है।"

3. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि वास्तव में संबंधित अपीलार्थियों ने लगभग 30 से 35 वर्षों से अधिक के लिए प्रभारित कार्य के रूप में सेवाएँ प्रदान की। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान के तहत प्रभारित कार्य के रूप में काम करते हुए उन्हें एम.ए. सी. पी. आदि जैसे अन्य लाभ भी दिए गए थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, कार्य प्रभारित कर्मचारियों के रूप में प्रदान की गई उनकी पिछली सेवाओं

को समाप्त नहीं किया जाएगा और/या कम से कम पेंशन के उद्देश्य के लिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

3.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि संबंधित अपीलकर्ताओं को किसी विशेष परियोजना पर नियुक्त नहीं किया गया था, बल्कि नियुक्ति एक ऐसे काम के लिए की गई थी, जो मासिक वेतन के लिए नियमित और आवधिक प्रकृति का था और वे सरकारी विभाग में काम कर रहे थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, उनकी सेवाएं नियमित कर्मचारियों से गुणात्मक रूप से अलग नहीं थीं।

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य सरकार की ओर से उनसे उन अवधि के लिए काम लेना अनुचित था जिसमें वो अपने देय परिलब्ध से वंचित थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सभी अपीलार्थियों को रोजगार कार्यालय से उनके नाम बुलाए जाने के बाद नियुक्त किया गया था।

3.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य का मामला, (2019) 10 एस. सी. सी. 516, के मामले में, कि प्रभारित कार्य के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को पेंशन लाभों के लिए गिना जाना है। अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने उक्त निर्णय के पारा 29,30,31,32 और 36 पर बहुत अधिक भरोसा किया है।

4. वर्तमान अपीलों का विरोध करते हुए राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि वास्तव में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कार्य प्रभार के रूप में लंबी अवधि तक काम करने के बावजूद, जब उन्हें नियमित किया गया और उनमें पेंशन के लिए योग्यता सेवा की कमी पाई गई और उस आधार पर, उन्हें केवल इस आधार पर पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने पेंशन के लिए योग्यता सेवा पूरी नहीं की है, ऐसे कर्मचारियों के पक्ष में राज्य द्वारा एक सचेत निर्णय लिया गया है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि योग्यता सेवा के उद्देश्य से, कार्य प्रभार रूप में प्रदान की गई सेवाओं को उन्हें पेंशन के लिए योग्य बनाने के लिए गिना जाना है।

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रभारित कार्य के रूप में प्रदान की गई उनकी सेवाओं को वास्तविक पेंशन के उद्देश्य के लिए नहीं गिना जा सकता है, अन्यथा, एक नियमित कर्मचारी और कार्य प्रभारित कर्मचारी के बीच कोई अंतर नहीं होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब तक कार्य प्रभारित कर्मचारी नियमित नहीं हो जाता है, तब तक वह कार्य प्रभारित कर्मचारी बना रहता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ ने उचित रूप से कहा है और अभिनिर्धारित किया है कि पेंशन के उद्देश्य से, किसी कर्मचारी की सेवा को पेंशन के लिए योग्य बनाने के लिए केवल कार्य प्रभारित कार्यकाल से ऐसी अवधि जोड़ी जाएगी और इस तरह की कार्य प्रभारित कार्यकाल की अवधि को जोड़ते हुए, गणना के लिए कार्यप्रणाली कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान के तहत प्रदान की गई प्रत्येक पांच साल की सेवा के लिए एक वर्ष होगी और यदि वह भी कुछ कमी छोड़ देता है, तो कर्मचारी की सेवा को पेंशन योग्य बनाने के लिए अतिरिक्त कार्य प्रभारित कार्यकाल के वर्षों की संख्या ली जा सकती है/जोड़ी जा सकती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, उच्च न्यायालय ने नियम, 2013 के अधिकारों को सही ठहराया है।

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहाँ तक अपीलार्थियों की ओर से प्रेम सिंह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर दी गई निर्भरता का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय बिल्कुल भी लागू नहीं होगा क्योंकि उक्त निर्णय पर की गई निर्भरता पुरी तरह से गलत है ।

4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय में, यह माननीय न्यायालय U.P के सेवानिवृत्ति लाभ नियम, 1961 के नियम 3 (8) पर विचार कर रहा था। जिसमें विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान में सेवा की अवधि को पेंशन के लिए योग्य सेवा के लिए नहीं गिना जाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस माननीय न्यायालय ने उक्त प्रावधान को पढ़ा और कहा कि प्रभारित कार्य के रूप में प्रदान की गई सेवा को पेंशन के लिए योग्य सेवा के रूप में गिना जाना चाहिए।

4.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त नियमों के नियम 3 (8) की वैधता पर विचार करते हुए, इस माननीय न्यायालय ने कहा कि कई वर्षों तक सेवा प्रदान करने के बाद, उन्हें इस आधार पर पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने पेंशन के

लिए योग्यता सेवा प्रदान नहीं की है और यह कि कार्य प्रभारित सेवा को पेंशन के लिए योग्यता सेवा के रूप में गिना जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त नियमों के नियम 3 (8) की वैधता पर विचार करते हुए, और कुल कार्य प्रभारित सेवा को पेंशन के लिए योग्यता सेवा के रूप में गिने जाने से इनकार करते हुए, इस माननीय न्यायालय ने कहा है कि उन्हें पेंशन से वंचित करना अनुचित, अन्यायपूर्ण और अस्वीकार्य होगा और उसके लिए यह माना और अभिनिर्धारित किया जाता है कि कार्य प्रभारित सेवा को पेंशन के लिए योग्यता सेवा के रूप में गिना जा सकता है।

4.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय में, इस माननीय न्यायालय ने यह नहीं देखा है और यह अभिनिर्धारित नहीं किया है कि प्रभारित कार्य के रूप में प्रदान की गई उनकी पूरी सेवा को पेंशन की गिनती के उद्देश्य से माना जाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय पेंशन के लिए योग्यता सेवा के रूप में गिने जाने वाले प्रभारित कार्य के रूप में प्रदान की गई सेवा की अवधि तक सीमित होगा।

5. इस न्यायालय के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया संक्षिप्त प्रश्न है:

"क्या कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान के तहत प्रभारित कार्य के रूप में प्रदान की गई पूरी सेवा को नियम, 2013 के तहत प्रभारित कार्य कर्मचारियों को नियमित करने के बाद पेंशन की राशि के निर्धारण के लिए गिना जाएगा और/या विचार करना होगा?"

6. यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि संबंधित अपीलकर्ता राज्य में कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान के तहत प्रभारित कार्य के रूप में काम कर रहे थे। उनकी सेवाओं को नियम, 2013 और वित्त विभाग की अनुवर्ती अधिसूचना के तहत परपत्र सं. 10710 दिनांक 17.10.2013 के द्वारा नियमित किया गया है।

“परिपत्र का नियम 5 (v) इस प्रकार है:- 5 (v) इन कर्मचारियों पर पुराने पेंशन नियम लागू होंगे। लाभ पेंशन और ग्रेच्युटी को कार्य-प्रभारित कर्मचारी के रूप में पांच साल की सेवाओं के मुकाबले एक साल का लाभ देकर गिना जाएगा। फिर भी यदि पुराने नियमों के तहत पेंशन के लिए

10 साल की सेवा की न्यूनतम आवश्यकता पालन नहीं किया जाता है, तो इसका लाभ देने के लिए न्यूनतम सेवा की अवधि जोड़ी जाएगी।”

6.1 नियम, 2013 के नियम 5 (v) को ऐसे कार्य प्रभारित कर्मचारियों के लिए फायदेमंद कहा जा सकता है, जिनकी सेवाओं को बाद में नियमित किया गया है। नियम 5 (v) के अनुसार, भले ही पेंशन के लिए 10 साल की सेवा (योग्यता सेवा) की न्यूनतम आवश्यकता पूरी न हो, उस मामले में भी, पेंशन के लिए योग्यता सेवा के लिए प्रभारित कार्य के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवा को जोड़ा जाना चाहिए। इसलिए, राज्य सरकार द्वारा यह देखने के लिए प्रयास किए गए हैं कि कई वर्षों तक कार्य प्रभार के रूप में सेवा प्रदान करने के बाद, और उसके बाद, उनकी सेवाओं को नियमित कर दिया गया है, उन्हें इस आधार पर पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने पेंशन के लिए योग्यता सेवा पूरी नहीं की है। इसमें यह भी प्रावधान है कि पेंशन और उपादान जैसे लाभों को कार्य-प्रभारित कर्मचारी के रूप में पांच साल की सेवाओं के मुकाबले एक साल का लाभ देकर गिना जाएगा। इसलिए, नियम 5 (v) जैसा कि ऊपर देखा गया है, ऐसे कार्य प्रभारित कर्मचारियों के पक्ष में भी फायदेमंद है, जिनकी सेवाओं को बाद में नियमित कर दिया गया है, और वे इस आधार पर पेंशन से वंचित नहीं हो सकते हैं कि उन्होंने पेंशन के लिए योग्यता सेवा पूरी नहीं की है। इस आधार पर कि उन्होंने योग्यता सेवा पूरी नहीं की है, कई वर्षों तक सेवा प्रदान करने के बाद पेंशन से इनकार करना अनुचित और अवैध कहा जा सकता है और इसे शोषण कहा जा सकता है। इसलिए, ऐसे कार्य प्रभारित कर्मचारियों को पेंशन का पात्र बनाने के लिए, नियम 5 (v) में प्रावधान है कि यदि कोई कार्य प्रभारित कर्मचारी, जिसकी सेवाओं को नियम, 2013 के तहत नियमित किया गया है, योग्यता सेवा से कम है, तो योग्यता सेवा की ऐसी कमी की सीमा तक, पेंशन के लिए योग्यता सेवा के उद्देश्य से प्रभारित कार्य के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को गिना जाएगा। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ ने उचित रूप से कहा है और अभिनिर्धारित किया है कि पेंशन के उद्देश्य से, एक कर्मचारी की सेवा करने के लिए केवल कार्य प्रभारित कार्यकाल से ऐसी अवधि जोड़ी जाएगी, जिसे पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए नियमित किया गया है।

6.2 जहाँ तक अपीलकर्ताओं की ओर से यह निवेदन है कि प्रभारित कार्य के रूप में प्रदान की गई उनकी पूरी सेवाओं पर विचार किया जाना चाहिए और/या पेंशन/पेंशन की मात्रा के उद्देश्य से गिना जाना चाहिए, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यदि इसे स्वीकार किया जाता है, तो उस मामले में, यह प्रारंभिक नियुक्ति से उनकी सेवाओं को कार्य प्रभारित के रूप में रूप में नियमित करने के समान होगा। इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला के अनुसार, एक मूल पद पर नियुक्त एक नियमित कर्मचारी और कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान के तहत काम करने वाले कार्य प्रभारित कर्मचारी के बीच हमेशा अंतर और भेद होता है। प्रभारित कर्मचारियों को किसी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है। चयन की उचित प्रक्रिया के बाद और भर्ती नियमों के अनुसार उनकी नियुक्ति नहीं की जाती है। इसलिए, प्रभारित कार्य के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को पेंशन/पेंशन की मात्रा के उद्देश्य से नहीं गिना जा सकता है। हालांकि, साथ ही, कई वर्षों के लिए प्रभारित कार्य के रूप में सेवा प्रदान करने के बाद और उसके बाद जब उनकी सेवाओं को नियमित कर दिया जाता है, तो उन्हें इस आधार पर पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने पेंशन के लिए योग्यता सेवा पूरी नहीं की है। इसलिए, प्रभारित कार्य के रूप में प्रदान की गई सेवा को पेंशन के लिए योग्यता सेवा के उद्देश्य से गिना और/या विचार किया जाना है, जो नियम, 2013 के नियम 5 (v) के तहत प्रदान किया गया है।

6.3 अब, जहाँ तक अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रेम सिंह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर रखी गई निर्भरता का संबंध है, उक्त निर्णय की गई निर्भरता पूरी तरह से गलत है। उक्त मामले में, यह न्यायालय उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट लाभ नियम 1961 के नियम 3 (8) की वैधता पर विचार कर रहा था। जिसके तहत प्रभारित कार्य के रूप में प्रदान की गई पूरी सेवा को पेंशन के लिए योग्यता सेवा के लिए नहीं गिना जाना था। इस पर, इस न्यायालय ने कहा है और अभिनिर्धारित किया है कि सरकारी प्रतिष्ठान/विभाग में कई वर्षों तक प्रभारित कार्य के रूप में सेवा प्रदान करने के बाद, उन्हें इस आधार पर पेंशन से वंचित करना कि उन्होंने पेंशन के लिए योग्यता सेवा पूरी नहीं की है, अन्यायपूर्ण, मनमाना और अवैध होगा। इसलिए, इस न्यायालय ने अवलोकन किया है और अभिनिर्धारित किया है कि प्रभारित कार्य के रूप में प्रदान की गई उनकी सेवाओं को योग्यता सेवा के लिए माना/गिना जाएगा। इस न्यायालय

ने यह नहीं कहा है और यह अभिनिर्धारित नहीं किया है कि प्रभारित कार्य के रूप में प्रदान की गई पूरी सेवा को पेंशन/पेंशन की मात्रा के लिए माना/गिना जाएगा। अतः प्रेम सिंह (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय पेंशन के लिए योग्यता सेवा के लिए प्रभारित कार्य के रूप में प्रदान की गई सेवा की गिनती तक ही सीमित होगा।

7. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपीलों में गुणों की कमी है और वे खारिज किए जाने के योग्य हैं और तदनुसार खारिज कर दिए जाते हैं। यह कहा जाता है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि नियमितकरण योजना जैसे नियम, 2013 और परिपत्र के तहत उनकी सेवाओं को नियमित किए जाने के बाद प्रभारित कार्य के रूप में प्रदान की गई सेवा को केवल नियम, 2013 के नियम 5 (v) के अनुसार पेंशन के लिए योग्य सेवा के उद्देश्य से गिना जाएगा।

अतः वर्तमान अपीलें खारिज किए जाने के योग्य हैं और तदनुसार खारिज की जाती हैं। बिना अर्थदंड के।

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनको भी निस्तारित किया जाता है।

[एम. आर. शाह], न्यायमूर्ति

[सी. टी. रविकुमार], न्यायमूर्ति

नई दिल्ली

28.04.2023

खण्डन (डिस्क्लेमर) :- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।